



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939

No. 329]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/ VAISAKHA 11, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 419(अ).—भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संबंधी संधि पर तारीख 12 अक्तूबर, 2011 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और अनुसमर्थन की लिखतों का हनोई में तारीख 12 अगस्त, 2013 को आदान-प्रदान किया गया था;

और इस संधि के अनुच्छेद 22 के पैरा (1) उपबंधों के अनुसार तारीख 12 अगस्त, 2013 से उक्त संधि प्रवृत्त हुई;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-3 से भिन्न उपबंध, वियतनाम समाजवादी गणराज्य पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

"भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य और वियतनाम समाजवादी गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके बाद पक्षकार कहा गया है),

अपराध को रोकने तथा उसका दमन करने के लिये दोनों देशों के बीच और प्रभावी सहयोग की व्यवस्था करने और अपराधियों के प्रत्यर्पण संबंधी एक संधि करके प्रत्यर्पण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को सहज बनाने की इच्छा से यह स्वीकारते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है।

निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद- 1

प्रत्यर्पण का दायित्व

इस संधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्ष अपने संबंधित भू-भाग में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अभियोजित करने, मुकदमा चलाने तथा दंडित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्पित करने का वचन देते हैं, जो कि अन्य पक्ष के भू-भाग में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का आरोपी है अथवा दोषी है, भले ही ऐसे अपराध इस संधि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किए गए हों।

अनुच्छेद- 2**प्रत्यर्पणीय अपराध**

1. इस संधि के प्रयोजन के लिये प्रत्यर्पणीय अपराध वे अपराध हैं, जो अनुरोध के समय दोनों पक्षकारों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष के लिए स्वतंत्रता से वंचित किए जाने अथवा इससे कड़ी सजा के साथ दण्डनीय हैं।
2. कोई दुष्कृत्य तब भी प्रत्यर्पणीय अपराध होगा, जब वह पैराग्राफ-1 में वर्णित अपराध को करने का प्रयास करने या उसे करने का षडयंत्र करने, उसे करने में सहायता या उकसाने अथवा उसे किए जाने से पहले या बाद में सहायक के रूप कार्य करने के लिये किया गया हो।
3. जहाँ प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालय द्वारा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिये स्वतंत्रता से वंचित किए जाने से दण्डित व्यक्ति से संबंधित है, तब प्रत्यर्पण तब ही मंजूर किया जाएगा, यदि सजा की कम से कम छह (6) माह की अवधि शेष है।
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह निर्णय करने के लिये कि क्या कोई अपराध दोनों पक्षकारों के कानूनों के खिलाफ अपराध है:-
 - (क) यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि क्या पक्षकारों के कानून अपराध के आचरण को अपराधों की उसी श्रेणी में रखता है अथवा उसी शब्दावली द्वारा अपराध को नामित करता है;
 - (ख) जिस व्यक्ति के लिए प्रत्यर्पण की माँग की गई है, उसके खिलाफ कथित दुष्कृत्य को संपूर्ण रूप में देखा जाएगा और यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि क्या पक्षकारों के कानूनों के अंतर्गत दुष्कृत्य के घटक तत्वों को भिन्न स्वरूप में वर्णित किया गया है।
5. जहाँ किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की माँग कराधान, सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण अथवा अन्य राजस्व से जुड़े मामलों से संबंधी कानून के खिलाफ दुष्कृत्य के संबंध में की गई हो, वहाँ प्रत्यर्पण को इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून में उसी तरह का कर या शुल्क नहीं लगाता अथवा उसमें उसी तरह के कराधान, शुल्क, सीमा-शुल्क अथवा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम नहीं है, जैसे अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून में हैं।
6. जहाँ दुष्कृत्य अनुरोधकर्ता पक्षकार के भू-भाग के दायरे के बाहर किया गया है, वहाँ प्रत्यर्पण तब किया जाएगा जहाँ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून में अपने भू-भाग के दायरे से बाहर सदृश परिस्थितियों में किए गए दुष्कृत्य के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई हो। जहाँ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार कानून ऐसा प्रावधान नहीं करता, वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार स्वविवेक का प्रयोग करके ऐसा प्रत्यर्पण प्रदान कर सकता है।
7. जहाँ प्रत्यर्पण के अनुरोध में कई दुष्कृत्यों का संदर्भ हो, जिसमें से प्रत्येक दोनों पक्षकारों के कानूनों के अंतर्गत दण्डनीय हो, किन्तु उनमें से कुछेक इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में दी गई अन्य शर्तों को पूरा न करते हों, तो ऐसे दुष्कृत्यों के लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया जा सकेगा, बशर्ते वांछित व्यक्ति को कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जा रहा है।

अनुच्छेद- 3**प्रत्यर्पण से इंकार**

1. निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के होने पर प्रत्यर्पण नहीं दिया जाएगा:
 - (क) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह अनुरोधकर्ता पक्षकार का नागरिक है;
 - (ख) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसे परिसीमा की विधि के व्यपगत होने के कारण अभियोजित नहीं किया जा सकता हो अथवा दण्डादेश नहीं दिया जा सकता हो;
 - (ग) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अभियोजन के लिये अनुरोध किया गया है, उसे उस दुष्कृत्य के लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम अधिनिर्णय के तहत सिद्धदोष किया गया हो, जिससे प्रत्यर्पण का अनुरोध संबंधित हो अथवा मामले को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के दण्ड प्रक्रिया कानून के अनुसार निलंबित किया गया हो; अथवा
 - (घ) प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध एक से अधिक दुष्कृत्यों से संबंधित है और उनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य अनुरोधकर्ता राष्ट्र के कानून के तहत दण्डनीय है, किन्तु इस संधि के अनुच्छेद 2 के दायरे में शामिल नहीं है।
2. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र यह मानता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें दुष्कृत्य की तुच्छ प्रकृति भी शामिल है अथवा न्याय के हित में व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना अन्यायसंगत अथवा अनुचित होगा।
3. प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि जिस अपराध के संबंध में उसका अनुरोध किया गया है, वह सैन्य अपराध है।

अनुच्छेद- 4**राजनैतिक अपराध के लिये अपवाद**

1. प्रत्यर्पण का इंकार नहीं किया जाएगा, यदि जिस अपराध के संबंध में उसका अनुरोध किया गया है, वह एक राजनैतिक प्रकृति का अपराध है।
2. इस संधि के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक प्रकृति के अपराधों के रूप में नहीं माना जाएगा:-
 - (क) वह अपराध, जिसके संबंध में दोनों संविदाकारी राष्ट्रों ने एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि/अभिसमय, जिसके दोनों पक्षकार हैं या भविष्य में पक्षकार बन सकते हैं, के कारण प्रत्यर्पण करने अथवा अभियोजन के लिए अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के दायित्व को ग्रहण किया हो;
 - (ख) संविदाकारी राष्ट्रों में से एक के राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख के परिवार के किसी सदस्य के जीवन का अंत करना या उसके जीवन का अंत करने का प्रयास करना या उसके शरीर पर प्रहार करना;
 - (ग) हत्या अथवा आपराधिक मानव वध/नरहत्या;
 - (घ) वह अपराध जिसमें शस्त्र, विस्फोटक, अग्नि बम, विनाशकारी यंत्रों अथवा उपकरणों का प्रयोग करके मृत्यु, गंभीर शारीरिक नुकसान या सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाई गई हो;
 - (ङ.) उपरोक्त में से किसी के लिए षडयंत्र करने या करने की कोशिश या उस में हिस्सा लेना;
 - (च) आतंकवाद से संबंधित अपराध जो अनुरोध के समय संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अंतर्गत राजनैतिक अपराध न माना जाना हो;
 - (छ) अपहरण, अगवा करना, मिथ्या बंदीकरण या अविधिमान्य ढंग से बंदी बनाना जिसमें बंधक बनाकर रखना भी शामिल है।

अनुच्छेद- 5**प्रत्यर्पण का स्थगन**

1. जब वांछित व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार में उस अपराध से इतर जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अपराध के लिए जाँच के अधीन है, अभियोजित किया जा रहा है अथवा उस पर मुकदमा चल रहा है या सजा काट रहा है, तब अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण को तब तक के लिए स्थगित कर सकेगा, जब तक मुकदमे की कार्यवाही पूरी न हो अथवा दी गई सजा पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरी न हुई हो। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार किसी स्थगन के बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा। जब स्थगन की शर्तें समाप्त हो चुकी हों तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को भेजेगा और अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा अन्यथा सूचित न किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पुनः शुरू करेगा।
2. जब पैराग्राफ -1 में संदर्भित प्रत्यर्पण का स्थगन समय के व्यपगत होने से दायिदक कार्यवाही को बाधित करता हो या दायिदक कार्यवाही के लिए गंभीर कठिनाई उत्पन्न करता हो, तब अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर और अपने कानून का अनुसरण करते हुए उस व्यक्ति का अस्थायी प्रत्यर्पण प्रदान कर सकेगा, जिसके प्रत्यर्पण की माँग की गई है।
3. वह व्यक्ति जिसका अस्थायी प्रत्यर्पण प्रदान किया गया है, दायिदक कार्यवाही पूर्ण होने के तुरंत बाद अथवा अस्थायी प्रत्यर्पण के अनुरोध पर परस्पर सहमति से अनुमेय समय में वापस किया जाएगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध पर शुरू में सहमति की गई समयावधि को बढ़ा सकता है, यदि वह यह समझता है कि ऐसे प्रत्यर्पण के लिए उचित आधार विद्यमान हैं।

अनुच्छेद- 6**राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण**

1. दोनों में से कोई भी पक्षकार इस संधि के तहत अपने स्वयं के राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
2. यदि प्रत्यर्पण का इंकार केवल/मात्र वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के आधार पर किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर मामले को अभियोजन के लिए स्वयं अपने प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
3. राष्ट्रीयता का निर्धारण उस अपराध किए जाने के समय के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

अनुच्छेद- 7**प्रत्यर्पण की प्रक्रिया**

1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध राजनयिक चैनल के माध्यम से किया जाएगा।
2. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
 - (क) मांगे गए व्यक्ति को यथासंभव हू-ब-हू ब्यौरा के साथ-साथ उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और निवास स्थान स्थापित करने में मदद करने वाली कोई अन्य सूचना;
 - (ख) अपराध के तथ्यों को दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है; और
 - (ग) कानून का पाठ, यदि कोई हो;
 - (i) उस अपराध को पारिभाषित करने वाला; और
 - (ii) उस अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला।
3. यदि अनुरोध किसी अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित है, उसके साथ अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी न्यायाधिकारी, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट होने चाहिए, जोकि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अनुसार अनुरोधकर्ता राज्य के भू-भाग में यदि वह अपराध किया गया होता तो मुकदमा चलाए जाने को तर्कसंगत ठहराता और साथ ही ऐसे साक्ष्य भी संलग्न किये जाने चाहिए कि वह व्यक्ति जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वही व्यक्ति है जिसका कि गिरफ्तारी वारंट में उल्लेख किया गया है।
4. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है जो पहले से ही दोषसिद्ध और सजायाफ्ता हो तो अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी होने चाहिए:
 - (क) दोषसिद्धि और सजा का प्रमाणपत्र;
 - (ख) यह विवरण कि यह निर्णय अंतिम है और आगे की कार्यवाही लंबित नहीं है और यह दर्शाया गया हो कि इतनी सजा क्यों नहीं पूरी की गई है।
5. प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में दस्तावेज प्रत्यर्पण कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्राप्त एवं स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते कि दस्तावेज मूल दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज के सत्य प्रतिलिपि के रूप में किसी न्यायधीश अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए गए हों और न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी मुहर के साथ अधिप्रमाणित किए गए हों।
6. ऐसा दोषसिद्ध व्यक्ति, जोकि अपने मुकदमे के समय मौजूद नहीं था, के संबंध में उस व्यक्ति के साथ इस अनुच्छेद के पैरा (4) के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, मानो कि उसे उसी अपराध के लिए सजा दी गई है, जिसमें उसकी दोषसिद्धि हुई है।
7. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता है कि अनुरोध से संबंधित लिये जाने वाले निर्णय में सहायता करने के वास्ते इस संधि के प्रयोजनार्थ दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अपेक्षित हो, उतने समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद- 8**अनुपूरक सूचना**

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह समझता है कि मंजूर किए जाने वाले प्रत्यर्पण में सहायता करने के लिए प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन में दी गई सूचना इस संधि के अनुरूप पर्याप्त नहीं है तो वह पक्ष यह अनुरोध कर सकता है कि विशेष रूप से उल्लेख किए गए समय के भीतर अनुपूरक सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. यदि प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और दी गई अनुपूरक सूचना इस संधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है अथवा सूचना विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा किया जा सकता है। इस प्रकार की रिहाई से अनुरोधकर्ता पक्ष पर उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए नया अनुरोध करने के लिए रोक नहीं लगती है।
3. पैरा 2 के अनुसार, जैसे ही कोई व्यक्ति हिरासत से रिहा होता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष को यथाशीघ्र व्यवहार्य सूचना देगा।

अनुच्छेद- 9**अनंतिम गिरफ्तारी**

1. अत्यावश्यक मामलों में, अनुरोधकर्ता पक्ष प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के प्रस्तुतिकरण को लंबित रखते हुए, वांछित व्यक्ति की अनंतिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। अनंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध राजनयिक चैनलों के माध्यम से अथवा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के लोक सुरक्षा मंत्रालय और भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच प्रत्यक्ष रूप से भेजा जा सकता है।
2. अनंतिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन लिखित होगा और निम्नलिखित शामिल होंगे:-
 - (क) वांछित व्यक्ति का विवरण; व्यक्ति की राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना सहित;
 - (ख) वांछित व्यक्ति का स्थान, यदि मालूम हो;
 - (ग) मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, जिसमें शामिल हो, अगर संभव हो तो, अपराध का समय और स्थान;
 - (घ) उल्लंघन किए गए कानून का विवरण;
 - (ङ.) वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट अथवा कैद, अथवा दोष निष्कर्ष अथवा दोषसिद्धि के निर्णय की मौजूदगी का विवरण; और
 - (च) यह विवरण कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए बाद में अनुरोध किया जाएगा।
3. आवेदन प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा और अनुरोधकर्ता पक्ष को परिणाम से तत्परता से अधिसूचित किया जाएगा।
4. यदि अनुरोधकर्ता पक्ष गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनुच्छेद- 7 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि इससे बाद में अनुरोध प्राप्त होने पर वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए कार्रवाई शुरू करने पर रोक न लगता है।

अनुच्छेद- 10**सरल प्रत्यर्पण**

यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य में आत्म समर्पण करने के लिए तैयार है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने नियमों के अधीन आगे की कार्रवाई के बिना यथाशीघ्र उस व्यक्ति को सौंप देगा।

अनुच्छेद- 11**अभ्यर्पण**

1. यदि दो अथवा दो देशों से उसी अपराध अथवा अलग अपराधों के लिए एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त होता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश यह निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति किस देश को प्रत्यर्पित किया जाएगा तथा उन देशों को अपने निर्णय के बारे में अधिसूचित करेगा।
2. यह निर्धारित करने के लिए उस देश को व्यक्ति प्रत्यर्पित किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश सभी संबद्ध कारकों पर विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल तो हैं परंतु, उन तक सीमित नहीं हैं:
 - (क) वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता तथा सामान्य निवास स्थान;
 - (ख) क्या यह अनुरोध किसी संधि के अनुसरण में किया गया है;
 - (ग) समय व स्थान, जहां पर अपराध किया गया था;
 - (घ) अनुरोधकर्ता राज्य के संबंधित हित;
 - (ङ.) अपराध की संगीनता;
 - (च) पीड़ित व्यक्ति की राष्ट्रीयता;
 - (छ) अनुरोधकर्ता राज्यों के बीच आगे प्रत्यर्पण की संभावना; और
 - (ज) अनुरोध से संबंधित तारीखें।

अनुच्छेद- 12**आत्म समर्पण**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष प्रत्यर्पण के अनुरोध पर निर्णय लेते ही राजनयिक माध्यमों से अनुरोधकर्ता पक्ष को निर्णय की सूचना देगा। प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण दिए जाएंगे।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-भाग के उस स्थान पर सौंपेगा, जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो।
3. अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा उल्लिखित उपयुक्त अवधि के भीतर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-भाग से उस व्यक्ति को ले जाएगा तथा यदि उस अवधि के भीतर उस व्यक्ति को नहीं ले जाया जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है तथा उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है।

अनुच्छेद- 13**पुनः प्रत्यर्पण**

यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति अपने विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई से भाग रहा है तथा अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-भाग में वापस आ गया है तो अनुरोधकर्ता पक्ष उस व्यक्ति के पुनः प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

अनुच्छेद- 14**संपत्ति की जब्ती और सौंपना**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश किए गए प्रत्यर्पण के संबंध में अपराध से जुड़े सामानों, दस्तावेजों तथा साक्ष्यों को जब्त करेगा तथा अनुरोधकर्ता देश को सौंपेगा।
2. यदि वांछित व्यक्ति का मृत्यु गुमशुदगी अथवा फरार होने के कारण प्रत्यर्पण नहीं किया जा सका, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध के आधार पर अनुरोधकर्ता देश को सामान सौंप सकता है।
3. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के नियमों के अधीन तीसरे पक्ष के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार सौंपी गई संपत्ति अपेक्षित है तो ऐसी संपत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को यथाव्यवहार्य तथा निशुल्क वापस की जाएगी।

अनुच्छेद- 15**विशिष्टता के नियम**

1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश में निम्नलिखित को छोड़कर किसी अन्य अपराध में हिरासत में नहीं लिया जाएगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा दंडित नहीं किया जाएगा:-
 - (क) जिस अपराध के लिये प्रत्यर्पण किया गया है तथा उन्हीं तथ्यों के आधार पर अलग से वर्गीकृत अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है, बशर्ते कि ऐसे अपराध प्रत्यर्पणीय हैं अथवा उससे कम गंभीर अपराध हैं;
 - (ख) जिस अपराध के संबंध में जिसे प्रत्यर्पित किया गया है तथा उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमाणित तथ्यों के आधार पर जिस अपराध के संबंध में उसे दोषी ठहराया जा सकता है;
 - (ग) जिस अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कार्यपालक प्राधिकारी ने अपराध के लिए उस व्यक्ति की हिरासत, मुकदमे अथवा दण्ड के लिए सहमति दी है, इस उप पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए:
 - (i) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के अनुच्छेद- 7 में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है;
 - (ii) प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा अपराध के संबंध में दिए गए विवरण, यदि कोई हो, की प्रति अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को प्रस्तुत की जाएगी; तथा
 - (iii) अनुरोधकर्ता देश अनुरोध पर कार्रवाई होने तक प्रत्यर्पित व्यक्ति को उस अवधि के लिए हिरासत में रख सकता है, जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता देश ने प्राधिकृत किया है।
2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति को उसके प्रत्यर्पण से पहले किए गए किसी अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता देश की सहमति के बिना किसी तीसरे देश को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 व 2 से किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति की हिरासत, अभियोजन अथवा दण्ड अथवा उस व्यक्ति के किसी तीसरे देश को सौंपने पर रोक नहीं लगती, यदि
 - (क) वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के बाद अनुरोधप्राप्तकर्ता देश का भू-भाग छोड़ देता है तथा स्वेच्छा से उसमें वापस आ जाता है, अथवा
 - (ख) वह व्यक्ति उस दिन से जब वह व्यक्ति भू-भाग छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, 60 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता देश का भू-भाग नहीं छोड़ता।

अनुच्छेद- 16**परिणामों की अधिसूचना**

अनुरोधकर्ता पक्ष प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई तथा उसे सुनाई गई सजा अथवा किसी तीसरे देश के उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण से संबंधित सूचना समय पर अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को सूचित करेगा।

अनुच्छेद- 17**पारगमन**

1. तीसरे देश द्वारा अन्य पक्ष को सौंपे गए किसी भी व्यक्ति का अन्य पक्ष के भू-भाग से पारगमन, उसके नियमों में स्वीकार्य सीमा तक केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से लिखित अनुरोध पर प्राधिकृत किया जाएगा।
2. यदि परिवहन के लिए वायुयान का प्रयोग किया जाना है तथा पारगमन वाले पक्ष के भू-भाग में वायुयान का उतरना निर्धारित नहीं है तो पारगमन के लिए प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। यदि उस पक्ष के भू-भाग में वायुयान को आकस्मिक रूप से उतारा जाता है तो अन्य पक्ष के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह इस अनुच्छेद के पैरा- 1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पारगमन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेगा। यदि आकस्मिक रूप से वायुयान के उतरने के चार दिनों (96 घंटे) के भीतर अनुरोध प्राप्त होता है तो संबिदाकारी देश पारगमन का अनुरोध प्राप्त होने तथा पारगमन होने तक पारगमन करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लेगा।

अनुच्छेद- 18**लागत**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्यर्पण के अनुरोध से उत्पन्न किसी प्रकार की कार्रवाई की लागत का निर्वहन करेगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति की हिरासत व गिरफ्तारी अथवा संपत्ति जब्त करने व सौंपने के संबंध में लागतों को पूरा करेगा।
3. अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के भू-भाग से प्रत्यर्पित व्यक्ति को भेजने में आने वाली लागत तथा पारगमन की लागत का निर्वहन करेगा।

अनुच्छेद- 19**केन्द्रीय प्राधिकारी**

इस संधि के प्रयोजनार्थ अनुरोधकर्ता देश अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से पत्र व्यवहार करेगा। भारत गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी विदेश मंत्रालय होगा तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी लोक सुरक्षा मंत्रालय होगा।

अनुच्छेद- 20**परामर्श**

1. दोनों पक्ष इस संधि को लागू करने तथा उसकी व्याख्या करने से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अनुरोध पर एक-दूसरे से विचार करेंगे।
2. वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के लोक सुरक्षा मंत्रालय और भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय व्यक्तिगत मामलों को प्रक्रियाबद्ध करने के संबंध में तथा इस संधि के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली में यथास्थिति बनाये रखने एवं उसमें आगे सुधार लाने में एक-दूसरे से सीधे परामर्श कर सकते हैं।

अनुच्छेद- 21**अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संधियों के अंतर्गत दायित्व**

वर्तमान संधि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संधियों से उत्पन्न अनुरोधकर्ता देश के अधिकार एवं दायित्व प्रभावित नहीं होंगे, जिसके वे पक्षकार हैं।

अनुच्छेद- 22**प्रवृत्त एवं निरस्त होने की तारीख**

1. यह संधि अनुसमर्थन पर आधारित है। यह संधि अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान होने पर लागू होगी।
2. कोई भी पक्षकार लिखित रूप में नोटिस के जरिए किसी भी समय इस संधि को निरस्त कर सकता है। जिस तारीख को नोटिस दिया जाएगा उसके छह (6) माह बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज नई दिल्ली में 2011 के अक्टूबर माह के 12 वें दिन हिंदी, वियतनामी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी प्रकार की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।“

भारत गणराज्य
की ओर से

वियतनाम समाजवादी गणराज्य
की ओर से

[सं. टी-413/05/2003 (पार्ट)]

उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2017

G.S.R. 419(E).—WHEREAS, the Treaty on Extradition between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam was signed at New Delhi on the 12th day of October, 2011 and the Instruments of Ratification of the said Extradition Treaty were exchanged at Hanoi on the 12th day of August, 2013;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 12th day of August, 2013 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 22 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Socialist Republic of Vietnam with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

“Treaty on Extradition between the Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam

The Republic of India and the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter referred to as “the Parties”;

Desiring to provide for more effective cooperation between the two countries in the prevention and suppression of crime, and to facilitate relations between the two countries in the area of extradition by concluding a treaty on extradition of offenders;

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows:

Article 1

Obligation to Extradite

Each Party agrees to extradite to the other Party, in accordance with the provisions of this Treaty, any person who is found in its territory and sought by the other Party for prosecution, trial, or execution of punishment for an extraditable offence, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

Article 2

Extraditable Offences

1. For the purposes of this Treaty, extraditable offences are offences which, at the time of the request, are punishable under the laws of both Parties by deprivation of liberty for a period of at least one year or by a more severe penalty.

2. An offence shall also be an extraditable offence if it involves an attempt or a plan to commit, aiding or abetting the commission of or being an accessory before or after the fact to, an offence described in paragraph 1.
3. Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a court of the Requesting Party for any extraditable offence, extradition shall be granted only if a period of at least six (6) months of the sentence remains to be served.
4. For the purposes of this Article, in determining whether an offence is an offence against the laws of both Parties:—
 - (a) it shall not matter whether the laws of the Parties place the conduct constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology;
 - (b) the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Parties, the constituent elements of the offence differ.
5. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition shall not be refused on the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.
6. Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting Party, extradition shall be granted where the law of the Requested Party provides for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. Where the law of the Requested Party does not so provide, the Requested Party may, in its discretion, grant extradition.
7. If the request for extradition refers to several offences, each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfil the other conditions set out in paragraphs 1 and 2 of this Article, extradition may be granted for the offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

Article 3

Refusal of Extradition

1. Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:
 - a) The person whose extradition is requested is a citizen of Requested Party;
 - b) The person whose extradition is requested cannot be prosecuted or does not have to serve the sentence imposed due to lapse of the statute of limitations;
 - c) The person whose extradition is requested for prosecution has been convicted under a final judgment by a competent court for the conduct to which the request relates or the case has been suspended according to the criminal procedural law of Requested Party; or
 - d) Where the request for extradition relates to more than one offenses and each of which is punishable under the law of the Requesting State but does not fall under Article 2 of this Treaty.
2. Extradition shall not be granted, if the Requested State considers that, having regard to all the circumstances, including the trivial of the nature of the offence, or in the interest of justice, it would be unjust or inexpedient to extradite the person.
3. Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is a military offence.

Article 4

The Political Offence Exception

1. Extradition shall not be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.
2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:
 - (a) an offence in respect of which the both Contracting States have the obligation to extradite or submit the case to their competent authorities for prosecution, by reason of a multilateral international treaty/convention to which both are parties or may become parties in future;

- (b) the taking or attempted taking of the life or an assault on the person of a Head of State or Head of Government of one of the Contracting States, or of member of the Head of State's or Head of Government's family;
- (c) murder or culpable homicide/ manslaughter;
- (d) an offence, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property;
- (e) a conspiracy or attempt to commit, or participation in, any of the foregoing offences;
- (f) offences related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Contracting State, not to be regarded as political offence;
- (g) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage.

Article 5

Postponement of Extradition

1. When the person sought is being investigated, prosecuted or has been tried or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may postpone the extradition of the person sought until the conclusion of the proceeding or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement. When the conditions of the postponement no longer exist, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party and resume the process for extradition unless otherwise informed by the Requesting Party.
2. When the postponement of extradition referred to in the paragraph 1 would bar the criminal proceedings due to the lapse of time or create a serious difficulty for the proceedings, the Requested Party may, at the request of the Requesting Party and pursuant to its laws, grant temporary extradition of the person whose extradition is sought.
3. The person whose temporary extradition is granted shall be returned as soon as the criminal proceedings are completed or the mutually agreed time permitted for the request for temporary extradition is ended. The Requested Party may extend, upon request, the initial agreed time period if it deems that reasonable grounds for such extension exist.

Article 6

Extradition of Nationals

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty.
2. If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution.
3. Nationality shall be determined at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

Article 7

Extradition Procedures

1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel.
2. The request shall be accompanied by:
 - (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;
 - (b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and
 - (c) the text, if any, of the law :
 - (i) defining that offence; and
 - (ii) prescribing the maximum punishment for that offence.

3. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.
4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:
 - (a) by a certificate of the conviction and sentence;
 - (b) by a statement that the judgment is final and no further proceedings are pending and showing how much of the sentence has not been carried out.
5. Documents, in support of an extradition request, shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings, provided the documents are certified by a judge or magistrate to be the original documents or true copies of such documents and are authenticated by the official seal of the court or by the competent authority.
6. In relation to a convicted person who was not present at his/her trial, the person shall be treated for the purposes of paragraph (4) of this Article as if he/she had been accused of the offence of which he/she was convicted.
7. If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

Article 8

Supplementary Information

1. If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient in accordance with this Treaty to enable extradition to be granted, that Party may request that supplementary information be furnished within such time as it may specify.
2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from custody. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of the person.
3. When the person is released from custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as practicable.

Article 9

Provisional Arrest

1. In case of urgency, Requesting Party may request the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through the diplomatic channel or directly between the Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Vietnam and Ministry of External Affairs of the Republic of India.
2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain:-
 - (a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
 - (b) the location of the person sought, if known;
 - (c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the offence;
 - (d) a description of the laws violated;
 - (e) a statement of the existence of a warrant of arrest or detention, or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and
 - (f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow.

3. On receipt of such an application, the Requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person sought and the Requesting Party shall be promptly notified of the result.
4. The person arrested shall be set at liberty if the Requesting Party fails to present the request for extradition, accompanied by the documents specified in Article 7, within sixty (60) days from the date of arrest, provided that this shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.

Article 10

Simplified Extradition

If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings.

Article 11

Concurrent Requests

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.
2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:-
 - (a) the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;
 - (b) whether the requests were made pursuant to treaty;
 - (c) the time and place where each offence was committed;
 - (d) the respective interests of the Requesting States;
 - (e) the gravity of the offences;
 - (f) the nationality of the victim;
 - (g) the possibility of further extradition between the Requesting States; and
 - (h) the respective dates of the requests.

Article 12

Surrender

1. The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting Party through the diplomatic channel. Reasons shall be given for refusal of a request for extradition.
2. The Requested Party shall surrender the person sought to the competent authorities of the Requesting Party at a location in the territory of the Requested Party acceptable to both Parties.
3. The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within such reasonable period as the Requested Party specifies and, if the person is not removed within that period, the Requested Party may set that person at liberty and may refuse extradition for the same offence.
4. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person to be extradited, it shall notify the other Party, and in this case the provisions of paragraph 3 of this Article shall not apply. The Parties shall mutually decide upon a new date of surrender or removal, which shall not be later than 60 days from the date of the decision.

Article 13

Re-extradition

Where the person extradited has absconded the criminal proceeding against him and returned to the territory of the Requested Party, the Requesting Party may submit a request for re-extradition of that person.

Article 14**Seizure and Surrender of Property**

1. The Requested State may seize and surrender to the Requesting State, all articles, documents, and evidence connected with the offence in respect of which extradition is granted.
2. The Requested State, if so requested, may surrender the articles to the Requesting State even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. Where the law of the Requested State to the protection of rights of third parties so requires, any property so surrendered shall be returned to Requested State as soon as practicable and free of charge.

Article 15**Rule of Specialty**

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting State except for:
 - (a) the offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts, on which extradition granted, provided such offence is extraditable or is a lesser included offence;
 - (b) an offence in respect of which he/she was extradited, or another offence in respect of which he/she could be convicted based on the proven facts used to support the request for his/her extradition; or
 - (c) an offence for which the executive authority of the Requested State consents to the person's detention, trial, or punishment for an offence. For the purpose of this subparagraph:
 - (i) the Requested State may require to submit the documents called for in Article 7;
 - (ii) a copy of the statement, if any, made by the extradited person with the request of the offence shall be submitted to the Requested State; and
 - (iii) the person extradited may be detained by the Requesting State for such period of time as the Requested State may authorize, while the request is being processed.
2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his/her extradition unless the Requested State consents.
3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person or the extradition of that person to a third State, if;
 - (a) that person leaves the territory of the Requested State after extradition and voluntarily returns to it; or
 - (b) that person does not leave the territory of the Requested State within 60 days of the day on which that person is free to leave.

Article 16**Notification of the Results**

The Requesting Party shall timely notify the Requested Party of the information relating to the proceeding against or the execution of punishment upon the person extradited or the re-extradition of that person to a third State.

Article 17**Transit**

1. To the extent permitted by its law, transportation of a person surrendered to one Party by a third State through the territory of the other Party shall be authorized on request in writing made through the Central Authorities.
2. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this Article. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within 4 (four) days (96 hours) of the unscheduled landing.

Article 18**Costs**

1. The Requested Party shall meet the cost of any proceedings in its jurisdiction arising out of a request for extradition.
2. The Requested Party shall bear the cost incurred in its territory in connection with the arrest and detention of the person whose extradition is sought, or the seizure and surrender of property.
3. The Requesting Party shall bear the cost incurred in conveying the person whose extradition is granted from the territory of the Requested Party and the cost of transit.

Article 19**Central Authorities**

For the purpose of this Treaty, the Requesting States shall communicate through their Central Authorities. The Central Authorities for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and for the Socialist Republic of Vietnam shall be Ministry of Public Security.

Article 20**Consultation**

1. The Parties shall consult, at the request of either Party, concerning the interpretation and the application of this Treaty.
2. The Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Vietnam and Ministry of External Affairs of the Republic of India may consult with each other directly in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

Article 21**Obligations under International Conventions/Treaties**

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Requesting State arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

Article 22**Entry into Force and Termination**

1. This Treaty is subject to ratification. This Treaty shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification.
2. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this Treaty.

DONE in duplicate at New Delhi on the 12th day of October, 2011 in the Hindi, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.”

For and on behalf of

THE REPUBLIC OF INDIA

**THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIETNAM**

[No. T-413/05/2003(Pt.)]

UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV)